109

संख्याः 1893/xx-1/13-4(29)2006

प्रेषक

जे. पी. जोशी
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में

पुलिस महानिदेशक
पुलिस मुख्यालय,
देहरादून

गृह अनुभाग-1 देहरादूनः दिनांकः- 11 अक्टूबर, 2013

विषयः-जनपद उधमसिंहनगर में श्रेणी द्वितीय के 36, श्रेणी तृतीय के 16 एवं श्रेणी चतुर्थ के 01 आवासीय भवनों का निर्माण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्याः डीजी-दो-49(4)-2006 दिनांक 06 अगस्त, 2013 के क्रम में शासनादेश संख्याः 2531/XX(1)/15-निर्माण/प्लान/2006-07 दिनांक 17 अक्टूबर, 2006 तथा शासनादेश संख्याः 350/XX(1)/15/निर्माण/प्लान/2006-07 दिनांक 20 मार्च, 2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद उधमसिंहनगर में श्रेणी द्वितीय के 36, श्रेणी तृतीय के 16 एवं श्रेणी चतुर्थ का 01 आवासीय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष अवशेष ₹ 45.19 लाख(रूपये पैंतालीस लाख उन्नीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुये व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 में वर्णित व्यवस्था/निर्देशों का कड़ायी से अनुपालन सुनिश्चित किये जाये, ताकि लागत एवं समयवृद्धि(Cost and time over run) से बचा जा सके। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर M.O.U. हस्ताक्षर कर लिया गया हो।

3- एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

4- निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

5- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30 मई 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

6- आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

7- निर्माण कार्य तथा इस हेतु सामग्री क्रय में Uttarakhand Procurement Rules, 2008 के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय। क्रमशः....2

8– निर्माण कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुये कार्य में शीघ्रता लायी जाय तथा विलम्ब के कारण किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षित नही किया जायेगा।

9– स्वीकृत धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत् रखते हुये किया जाय तथा व्यय उन्हीं मदों में किया जाय जिस मद के लिये स्वीकृति प्रदान की गयी है।

10– निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिये सम्बन्धित निर्माण संस्था उत्तरदायी होगी। कार्य क़राते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल एवं तद्विषयक समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–10, **आयोजनागत पक्ष** के अन्तर्गत मुख्य लेखाशीर्षक 4055–पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 211–पुलिस आवास, 03–पुलिस विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु व्यवस्था(चालू कार्य) के मानक मद 24–वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

12– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः–60/P/XXVII(5)/2013 दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय

(जे. पी. जोशी)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तद्नुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार, 25 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड।
5. बजट अधिकारी, बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र(एन.आई.सी.) सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग–5/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(विक्रम सिंह यादव)
अनु सचिव